राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,श्रीगंगानगर

EMAIL ID-ddganganagar.wcd@rajasthan.gov.in ph-0154-2445021

क्रमांक :– आं.बा. स्था../2025/680 दिनांक :–13.11.2025

विज्ञप्ति संख्या 02/2025

निदेशालय संमेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश कमांक प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244 दिनांक 12.01.2023 /57871–58286 जयपुर दिनांक 01.03.2024/रैफरेंस नम्बर 10872467 दिनांक 01.10.2024 की पालना में जिले निम्नलिखित बाल विकास परियोजना के अधीन ग्राम पंचायत/नगरपालिका में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एंव सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु सम्बधित परियोजना कार्यालय मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र. स.	परियोजना का नाम	रिक्त पदो की संख्या		आवेदन जमा करवाने का स्थानः– बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय
		कार्यकर्ता	सहायिका	
1.	सादुलशहर	03	08	सादुलशहर
2.	श्रीकरणपुर	01	11	श्रीकरणपुर
3.	श्रीगंगानगर ग्रा	01	0	श्रीगंगानगर ग्रा.
4.	पदमपुर	03	05	पदमपुर
5.	श्रीगगांनगर शहर	04	06	श्रीगगांनगर शहर
6.	सूरतगढ	04	10	सूरतगढ
7.	घड़साना	00	02	घड़साना
8.	अनूपगढ़	04	13	अनूपगढ़
9.	रायसिहनगर	01	04	रायसिहनगर
	कुल	21	59	
कार्यकर्ता मानदेय –10010 रूपये /सहायिका –5924 रूपये/				

नोटः ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत/ग्राम/आंगनबाडी केन्द्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी वार्डवाइज आंगनबाडी कार्यकर्ता/आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तो को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेवसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।

शर्तेः–

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम को तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड को स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।

2.आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3. विवाहित और अविवाहित महिला दोनो ही आवेदन के पात्र होगी।

4–विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नही रहती है तो स्वतःही मानदेय सेवा समाप्त मानी जावेगी। इस आशय का अण्डर टेंकिग(शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नही रहने पर जॉच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।

5. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुए, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।

6. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।

7. विधवा हेतु प्रमाण–पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन अवश्यक होगा।

D/mahender pal/my data/word file/DDICDS MPK 2025-2025

([illegible]) RAS
उपनिदेशक

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,श्रीगंगानगर
EMAIL ID-ddganganagar.wcd@rajasthan.gov.in ph-0154-2445021

8. तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।

9. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एंव रेफरेन्स नम्बर 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।

10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

12. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।

13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकतर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) आरएससीआईटी/पीजीडीसीए के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (9) विधवा/तलाकशुदा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।

14. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।

15 .योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियो में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक **प्रातः 10.30 बजे 24.11.2025 से 23.12.2025 को सांय 05.00 बजे** तक जमा करवा सकेंगे।

16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।

17. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।

18. मानदेय कार्मिको की विज्ञप्ति परिपत्र आदेश कमांक प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244 जयपुर दिनांक 12.01.2023 के अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका की सेवानिवृति आयु 61 वर्ष है।

19. आवेदनकर्ता की आयु की गणना माध्यमिक बोर्ड की अंकतालिका/प्रमाण पत्र के आधार पर की जावेगी।

20.सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(ऋषभ जैन)RAS
उपनिदेशक
महिला एंव बाल विकास विभाग
श्रीगंगानगर

D/mahender pal/my data/word file/DDICDS MPK 2025-2025

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,श्रीगंगानगर
EMAIL ID-ddganganagar.wcd@rajasthan.gov.in ph-0154-2445021

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर
रिक्त पदो का विवरण
विज्ञप्ति संख्या–02/2025

क्र. सं.	आवेदन जमा करवाने का स्थान	ग्राम पंचायत / नगरीय का नाम/वार्ड का नाम	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षित पद
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सादुलशहर	अलीपुरा	13 के.एस.डी.	सहायिका	अनारक्षित
2		करड़वाला	करड़वाला–प्रथम	कार्यकर्ता	एससी
3		बुधरवाली	7 बी.एन.डब्ल्यू	सहायिका	अल्पसंख्यक
4		चक महाराजका	3 एल.एन.पी	सहयिका	अनारक्षित
5		बहरामपुरा बोदला	बहरामपुरा बोदला–तृतीय	सहायिका	अनारक्षित
6		गदरखेड़ा	गदरखेड़ा–प्रथम	सहायिका	अनारक्षित
7		पन्नीवाली	पन्नीवाली जाटान–प्रथम	सहायिका	अनारक्षित
8		लालगढ़	लालगढ़ जाटान–प्रथम	सहायिका	एससी
9		बुधरवाली	बुधरवाली–द्वितीय	कार्यकर्ता	एससी
10		नूरपुर	नूरपुर द्वितीय	सहायिका	अनारक्षित
11		बुधरवाली	बुधरवाली प्रथम	कार्यकर्ता	अनारक्षित
12	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय श्रीकरनपुर	25 एच (दलपतसिंहपुर)	8 डब्ल्यू	कार्यकर्ता	अल्पसंख्यक
13		6 वी धनूर	6 वी प्रथम	सहायिका	एससी
14		8 वी	8 वी	सहायिका	अनारक्षित
15		7 एस किकरवाली	2 वी	सहायिका	अनारक्षित
16		15 ओ	14 ओ	सहायिका	अल्पसंख्यक
17		9 एफएफ	48 एफ	सहायिका	अल्पसंख्यक
18		52 जीजी	54 जीजी	सहायिका	एससी
19		9 एफए	12 एफए	सहायिका	एससी
20		नगरपालिका कैसरीसिंहपुर वार्ड नम्बर–07,19 आंशिक	वार्ड नम्बर 13	सहायिका	अनारक्षित
21		2 टी मलकाना कलां	14 एच	सहायिका	अल्पसंख्यक
22		2 डब्ल्यू	10 डब्ल्यू	सहायिका	एससी
23		2 डब्ल्यू	2 डब्ल्यू प्रथम	सहायिका	एससी

(आशा पैन) RAS
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीगंगानगर

D/mahender pal/my data/word file/DDICDS MPK 2025-2025

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,श्रीगंगानगर
EMAIL ID-ddganganagar.wcd@rajasthan.gov.in ph-0154-2445021

24	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर ग्रामीण	3 एच	3 एच छोटी	कार्यकर्ता	एससी
25	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पदमपुर	जीवनदेसर	27 एमएल	कार्यकर्ता	एससी
26		35 बीबी	35 बीबी	सहायिका	एससी
27		बींझबायला	बींझबायला 3	सहायिका	अनारक्षित
28		8 एनएन	6 एनएन	सहायिका	एससी
29		37 जीजी	33 जीजी	सहायिका	एससी
30		4 बीबी	2 बीबी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
31		4 बीबी	2 बीबी	सहायिका	अनारक्षित
32		सावतसर	4 ईई	कार्यकर्ता	अनारक्षित
33	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय शहर	वार्ड न. 6/11	6 ए द्वितीय	सहायिका	अनारक्षित
34		वार्ड न. 3/5	3 सी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
35		वार्ड न. 11/15	11 ई	सहायिका	अनारक्षित
36		वार्ड न. 14/19	14 ई	सहायिका	अनारक्षित
37		वार्ड न. 17/23	17 ए	कार्यकर्ता	अनारक्षित
38		वार्ड न. 42/60	42 बी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
39		वार्ड न. 42/60	42 बी	सहायिका	अनारक्षित
40		वार्ड न. 43/61	43 सी	सहायिका	अनारक्षित
41		वार्ड न. 44/59	44 सी	कार्यकर्ता	एससी
42		वार्ड न. 48/61	48 बी	सहायिका	अनारक्षित
43	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सूरतगढ़	मोकलसर	मोकलसर	सहायिका	अनारक्षित
44		रायावांली	226 आरडीआर	सहायिका	अनारक्षित
45		उदयपुर गोदारान	उदयपुर गोदारान	सहायिका	अनारक्षित
46		भगवानसर	3 एसजीएम	सहायिका	अनारक्षित
47		रामसरा जाखड़ान	22 एसटीबी प्रथम	सहायिका	अनारक्षित
48		13 एसडी	8/9 एसडी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
49		13 एसडी	8/9 एसडी	सहायिका	अनारक्षित
50		फरीदसर	9 एफडीएम	कार्यकर्ता	अनारक्षित
51		4 केएसआर	2 केएसआर द्वितीय	सहायिका	अनारक्षित
52		8 एसएचपीडी	7 एसएचपीडी	सहायिका	अपल्संख्यक
53		पालीवाला	1 केएसआर बी प्रथम	सहायिका	अनारक्षित
54		नगरपालिका सूरतगढ़ वार्ड नम्बर –33	आ.बा.केन्द्र वार्ड नम्बर 28–I	सहायिका	अनारक्षित

(ऋषभ जैन) RAS
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,श्रीगंगानगर
EMAIL ID-ddganganagar.wcd@rajasthan.gov.in ph-0154-2445021

55		वार्ड नम्बर –33 व 34	आ.बा.केन्द्र वार्ड नम्बर 10– I	कार्यकर्ता	एससी
56		1 एलएम	भोपालपुरा	कार्यकर्ता	अनारक्षित
57	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय घड़साना	2 केएलडी	2 बीडी	सहायिका	अनारक्षित
58		6 डीडी	9 डीडी	सहायिका	एससी
59	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अनूपगढ़	21 एसजीएम	23 एसजेएम	कार्यकर्ता	अनारक्षित
60		6 एपीडी	2 एपीडी	कार्यकर्ता	एससी
61		8 बीजीडी	1 जेकेएम	सहायिका	एससी
62		3 एस ए डी	3 एस ए डी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
63		जेतसर	जेतसर बी	सहायिका	अनारक्षित
64		7 जीबी	8 जीबी	सहायिका	अनारक्षित
65		3 एस ए डी	7 एलसी	सहायिका	एससी
66		24 जीबी	25 जीबीए	कार्यकर्ता	अनारक्षित
67		10 एएस	9 ए एस	सहायिका	एससी
68		16 एएस	16 एएस	सहायिका	एससी
69		61 जीबी	4 ए	सहायिका	एससी
70		6 बीएलएम	6 बीएलडी	सहायिका	अनारक्षित
71		नगरपालिका विजयनगर	वार्ड नम्बर 02	सहायिका	एससी
72		4 एमएसआर	26 ए	सहायिका	एससी
73		2 पीजीएम बी	5 पीजीएम	सहायिका	अनारक्षित
74		78 जीबी	77 जीबी	सहायिका	एससी
75		11 पी	11 पी ए	सहायिका	एससी
76	बाल विकास परियोजना अधिकारी रायसिंहनगर	15 टीके	15 टीके	सहायिका	अल्पसंख्यक
77		3 एमके	6 एमके	सहायिका	अनारक्षित
78		71 आरबी	19 आरबी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
79		नगरपालिका रायसिहनगर	वार्ड नम्बर–05	सहायिका	एससी
80		68 एनपी	66 एनपी	सहायिका	एससी

(ऋषभ जैन) RAS
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner